माननीय प्रधानमंत्रीजी, माननीय राज्य मंत्रीजी, सम्मेलन कक्ष में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे सभी सहकर्मी

****

आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से केन्द्रीय सूचना आयोग भवन के उदघाटन के शुभ अवसर पर आयोग की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ । प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला इसके लिए आयोग की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ ।

माननीय राज्यमंत्री डॉ0 जितेन्द्र सिंहजी का सतत् मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहा है । मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ ।

इस Building के बनने में हमारे पूर्ववर्ती CICs, कार्मिक मंत्रालय के सचिवों सहित अन्य अधिकारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है । आप सभी का धन्यवाद ।

Dr. Anoop Kumar Mittal, CMD, NBCC ने इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूचि ली। परिणामस्वरूप, समय से करीब पांच महीने पूर्व यह Project पूरा हो गया । मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ ।

हम सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सभी का सहयोग मिला । सबका धन्यवाद ।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति माननीय प्रधानमंत्रीजी की प्रतिबद्धता सर्वविदित है । मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि पर्यावरण और Energy Efficiency के उच्च मानकों को पूरा करने के कारण इस भवन को GRIHA Star - IV की रेटिंग मिली है।

माननीय प्रधानमंत्री जी का आयोग के कार्यक्रम में दूसरी बार आगमन हुआ है । CIC के Annual Convention में अक्टूबर, 2015 को बोलते हुए आपने RTI से संबंधित कई विषयों पर बल दिया था –

1. आपने कहा था कि RTI को Good Governance के साधन के रूप में अधिकाधिक उपयोग करें ।
2. विषयों पर आधारित विश्लेषण हो, आपस में भी जानकारी साझा करें, खुलापन लाएं और silos में काम करने की आदत छोड़ें ।
3. Information access करने की प्रक्रिया Transparent, Timely और Trouble free करें ।

आयोग ने इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया है । इसी दिशा में राज्य सूचना आयोगों और विभिन्न मंत्रालयों को भी जोड़ा गया है ।

रेलवे, बैंकिंग, Public Sector Undertakings, Land Record और suo-moto disclosure के ऊपर सेमिनारों का आयोजन किया गया है । सेमिनारों में मंथन से निकले Governance के सुझावों को संबंधित मंत्रालयों के संज्ञान में लाया गया है ।

इसके अलावा RTI के मामलों को निपटाते हुए आयोग यह भी देखता है कि कहीं यह RTI application दोषपूर्ण नीति या प्रक्रिया के कारण तो नहीं पैदा हुई है । आयोग उस नीति या प्रक्रिया के विषय में आवश्यकतानुसार सुझाव या निर्देश भी दे रहा है ।

Silos को तोड़ने के लिए आयोग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं । आयोग में आवेदन पर सुनवाई का अवसर कुछ समय बाद आता है । आयोग ने अपने software में Public Authority Module के रूप में ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिससे अपील या शिकायत दाखिल होते ही वह संबंधित मंत्रालय को Visible हो जाती है । इससे मंत्रालय को सुनवाई के पूर्व जनहित में कार्यवाही और समाधान का एक और अवसर मिल जाता है ।

RTI में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया Transparent, Timely और Trouble free होनी चाहिए । इसी उद्देश्य से आयोग ने अपील और शिकायतों के Disposal के लिए End to End paperless system अपनाया है । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि CIC उन चुनिन्दा कार्यालयों की सूची में शामिल होगा जहाँ प्राप्त प्रत्येक पेपर Digital form में Convert कर के ही संबंधित अनुभाग में भेजा जाता है और प्रत्येक डाक को एक Diary No. दिया जाता है । आयोग का पूरा पुराना Record भी Digital Format में कर लिया गया है । Digitization के कारण गत वर्ष लगभग पौने दो लाख पुरानी फाईलों को Weed out किया गया ।

आवेदकों को Offline या online दोनों में अपील करने की सुविधा है । यदि आवेदक ने आवेदन में मोबाइल नं. या E-mail उपलब्ध करवाया है तो हर स्टेज पर Alert जाता रहता है । आवेदन प्राप्ति का Diary No. एवं File No., सुनवाई की तिथि की सूचना, आयोग के निर्णय इत्यादि Alert के माध्यम से भी नागरिकों को सूचित किए जाते हैं । अपील और शिकायत से संबंधित सभी मामलों का Real time update आयोग की वेबसाईट पर सदैव उपलब्ध रहता है । ये सारी latest जानकारी नागरिकों को एक स्थान पर मिले, इसके लिए Citizen Services का एक आइकॉन CIC के मेन Webpage पर दिया गया है ।

मामलों की सुनवाई के लिए दूर-दराज से लोगों को दिल्ली नहीं आना पड़े, इसके लिए आयोग सभी जिला मुख्यालयों पर उपलब्ध NIC की Video Conferencing सुविधा का उपयोग कर रहा है । गत वर्ष 15000 (पंद्रह हजार) से ज्यादा बार इस सुविधा का उपयोग किया गया । इससे आवेदक और मंत्रालय दोनों को ही काफी सहुलियत होती है ।

अनुमानित है कि पूरे देश में 40 लाख से 60 लाख तक RTI आवेदन सालाना प्राप्त होते हैं । 2016-17 में केन्द्र में ही लगभग 9 लाख आवेदन प्राप्त हुए । आयोग में पिछले दो वर्षों में जहाँ लगभग 46,000 मामले दर्ज हुए, वहीं पर आयोग ने 57,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया । एक Special Drive चलाकर आयोग में 2016 तक लम्बित प्राय: सभी मामलों का निपटारा कर दिया गया है । आयोग अब 2017 में दर्ज किए मामलों की सुनवाई कर रहा है ।

देश ने अपने नागरिकों को सूचना के अधिकार के रूप में एक शक्तिशाली अधिनियम दिया है । इस अधिनियम के अनुसार आयोग अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता के साथ निर्भय और निष्पक्ष होकर कर रहा है, ताकि जनता की आंकाक्षाओं पर खरा उतर सके । नागरिकों द्वारा RTI का अधिकाधिक प्रयोग इस कानून में उनके विश्वास का प्रदर्शन करता है । इसके कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता एवं सरकार के Attitude में, निर्णय लेने के तरीके में, suo-moto disclosure द्वारा Transparency लाने की प्रक्रिया में और सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया इत्यादि में बहुत बड़ा बदलाव आया है । इस सबका End result है कि इस व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है । Transparency और Accountability बढ़ रही है । RTI के माध्यम से हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं, यही हम सभी का लक्ष्य है।

अंत में पुन: आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ।

****